राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा (रजि.), मथुरा द्वारा स्थापित एवं संचालित)

("NAAC" Accredited B+ College)

उत्कृष्ट शिक्षा के 52 स्वर्णिम वर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध केन्द्र

2023-24

प्रवेश विवरणिका

वृन्दावन गेट, मथुरा | फोन : 0565 – 2972473, मो. 8171707039

मूल्य : 300.00

डाक द्वारा मूल्य : 325.00

स्तवन

नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत।।

प्रार्थना

हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शान्ति निकेतन हे।
प्रेम के सिन्धु, दीन के बन्धु, दुःख दारिद्रय विनाशन हे।
नित्य अनन्त अखण्ड अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन हे।
जगआश्रय जगपति जगवन्दन, अनुपम अलख निरंजन हे।
प्राण–सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलम्बन हे।

विद्यालय गान

हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना।
जहां बरसती सतत् कृपा, श्री राधा रमण के विग्रह की,
जहां चमकती ज्ञान–शिखा, सत् अध्यापन के माध्यम की,
जहां निखरती कन्या काया, नैतिक–शिक्षा के बल की,
जहां प्रकटती गुप्त त्रिवेणी, पुरुषार्थ के निज बल की।
ऐसे विद्यालय को देते, हम सब कुछ अपना।
हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना
सत्यं वद, धर्मम् चर का, यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है,
'योगः कर्मसु कौशलम्' का मार्ग दिखाया जाता है।
'सत्यं शिवम् सुन्दरम्' के, गुरु मंत्र यहाँ पर गूँजते,
'विद्या ददाति विनयं' को, यहाँ सच्चे दिल से पूजते ।
'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का, हो पूरा सपना,
हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना।

आर. सी. ए. बालिका (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, मथुरा

परिचय

राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 4 अक्टूबर 1971 को हुई थी। तब से ही यह कन्या शिक्षा को समर्पित अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा के सुयोग्य संचालन में संचालित है। अनेकों संघर्षो से गुजरते हुये सफलता के नए सोपान चढ़ते हुए वर्तमान सत्र में महाविद्यालय अपने जीवन के 52 वर्ष पूर्ण कर चुका है। विविध सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं में यहाँ की विजयी छात्राओं ने मथुरा नगरी को गौरव प्रदान किया है। इस महाविद्यालय का परीक्षाफल लगभग शत–प्रतिशत रहता है। ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग साधन पर आधारित शिक्षाध्यापन एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर व्यक्तिगत ध्यान देना इस महाविद्यालय का वैशिष्ट्य है। महाविद्यालय में बी.ए., बी.एस.सी., बी. कॉम तथा एम. ए. और एम. कॉम कक्षाओं के अध्यापन की व्यवस्था है। वर्तमान सत्र से नवीन पाठ्यक्रम बी.सी.ए. भी संचालित होगा। साथ ही बी. एस–सी. पाठ्यक्रम में सांख्यिकी तथा कम्प्यूटर साईंस तथा बी.ए. पाठ्यक्रम में इतिहास विषय भी अध्ययन हेतु उपलब्ध होंगे। पिछले सत्र से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। सुयोग्य प्रवक्ताओं के अथक प्रयास एवं निरन्तर सुव्यवस्थित कक्षायें होने का ही परिणाम है कि महाविद्यालय मथुरा जनपद में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा प्रतिष्ठित B+ Grade प्राप्त अभी तक यह जनपद का एक मात्र NAAC मूल्यांकित अशासकीय महाविद्यालय है।

प्रमुख विशेषतायें

1. **शिक्षा सम्बन्धी विशिष्ट जीवन, छात्रा सहायता समिति, अध्ययन, अध्यापन तथा छात्राओं की व्यक्तिगत देखभाल आदि इस महाविद्यालय की अनन्य विशेषतायें है।**
2. **महाविद्यालय संस्कार युक्त उच्च–शिक्षा पर बल देता है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का समुचित प्रबन्ध भी संस्था द्वारा किया जाता है।**
3. **महाविद्यालय के अन्दर तथा बाहर छात्राओं पर विशेष निगरानी रखी जाती है। शिक्षिकाओं और छात्राओं के निकट सम्बन्ध तथा स्वस्थ सामूहिक जीवन की प्रेरणा इस महाविद्यालय की प्राथमिकताएं हैं।**
4. **महाविद्यालय में बुक बैंक स्थापित है। जिसमें छात्राओं को पूर्ण सत्र के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती है।**
5. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से महाविद्यालय में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया गया है।**
6. **महाविद्यालय में रोजगार परक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।**
7. **महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिये शुद्ध एवं ठण्डा पानी (आर.ओ.प्लांट व चिलर) व कैन्टीन की सुविधा है।**
8. **महाविद्यालय प्रांगण में छात्राओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये हैं।**
9. **सम्पूर्ण प्रांगण में कुछ विशेष स्थानों पर वाई–फाई सुविधा उपलब्ध हैं।**
10. **महाविद्यालय में कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय में छात्राओं के लिये 22,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।**
11. **छात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने के उदद्श्य से लैंग्वेज लैब व कम्प्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध है।**

उपलब्ध पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में तीन संकायों – **विज्ञान, वाणिज्य एवं कला** में शिक्षण की समुचित व्यवस्था है। इनमें कुल मिलाकर 19 विभाग हैं, जिनमें से वाणिज्य संकाय में 3 समूहों तथा कला संकाय के 5 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी शिक्षा की व्यवस्था है।

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम

स्नातक प्रथम वर्ष में सभी संकायों में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बी.ए./बी.कॉम/बी.एस–सी. प्रथम वर्ष में विषय चयन –

1. सर्वप्रथम छात्राएं महाविद्यालय में अपने संकाय (विज्ञान / कला / कॉमर्स) का चुनाव करेंगे।
2. तत्पश्चात विज्ञान (Science) की छात्राएं अपने संकाय से तीन विषयों का चुनाव करेंगे।

   (ZBC) जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान

   अथवा

   (PCM) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

   अथवा

   (PSM) भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी तथा गणित

   अथवा

   (PMC) भौतिक विज्ञान, गणित तथा कम्प्यूटर साइंस
3. वाणिज्य (Commerce) की छात्राओं के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एकीकृत पाठ्यक्रमान्तर्गत संचालित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।
4. कला संकाय (Arts) की सभी छात्राएं पहले दो विषयों (Major) का चुनाव निम्न में से किसी एक Table से करेंगी।

Table (A)	**Table (B)**	**Table (C)**
कला एवं मानविकी विषय	**भाषा विषय**	**ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय**
1. राजनीति शास्त्र	1. हिन्दी	1. चित्रकला
2. समाजशास्त्र या गृहविज्ञान	2. अंग्रेजी	2. संगीत गायन
3. अर्थशास्त्र या शारीरिक शिक्षा	3. संस्कृत	या
4. मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र		संगीत वादन
5. इतिहास		

5. तीसरा विषय (Major) भी उसी Table से अथवा किसी अन्य Table से ले सकती हैं।
6. स्नातक प्रथम वर्ष बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. की सभी छात्राओं को उपरोक्त के अतिरिक्त एक विषय (Minor) निम्न में से लेना होगा –

   (क) हिन्दी (ख) अंग्रेजी (ग) संस्कृत (घ) शारीरिक शिक्षा

   परन्तु यह विषय (Minor के रूप में) वही लिया जा सकता है, जो उन्होंने मुख्य विषय के रूप में न चुना हो।

समय सारिणी की बाध्यता के कारण छात्रायें राजनीति शास्त्र या संस्कृत में से एक विषय, समाजशास्त्र या गृहविज्ञान या संगीत गायन में से एक, तथा शिक्षाशास्त्र या मनोविज्ञान या संगीत वादन व चित्रकला या इतिहास में से केवल एक विषय का चयन कर सकती है। विषय चयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर छात्राएं प्रवेश समिति में शिक्षिकाओं के सहयोग व मार्गदर्शन से विषयों का चयन करें।

7. सभी संकाय की छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में एक को–करीकुलर (Co-Curricular) विषय भी पढ़ना अनिवार्य है। ये विषय निम्न है –

प्रथम सेमेस्टर	–	खाद्य पोषण एवं स्वच्छता
द्वितीय सेमेस्टर	–	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
तृतीय सेमेस्टर	–	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
चतुर्थ सेमेस्टर	–	शारीरिक शिक्षा एवं योग
पंचम सेमेस्टर	–	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस
षष्ठम् सेमेस्टर	–	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

व्यावसायिक पाठ्यक्रम/ सुविधाएं

1. प्रत्येक छात्रा को प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development Courses) पूर्ण करना अनिवार्य है। जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 250/– प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. महाविद्यालय में कम्पनी सैक्रेटरी (Company Secretary) पाठ्यक्रम के लिए ICSI (Institute of Company Secretaries of India) द्वारा अधिकृत अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है।
3. प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक छात्राओं के लिए कोई एक कौशल विकास पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है। वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में निम्नलिखित कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं –

1. योगा इंस्ट्रक्टर	(Yoga Instructor)	4 semester
2. सेल्फ इम्पलाइड टेलर	(Self Employed Tailor)	4 semester
3. कम्प्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट	(Computer Office Management)	4 semester
4. छात्रायें निम्न ग्रुप के अनुसार भी कौशल विकास कार्यक्रम में भाग ले सकती है		
प्रोफिसियेन्सी इन स्पोकन इंग्लिश	(Proficiency in Spoken English)	1st semester
बिजनेस इंग्लिश कम्यूनिकेशन	(Business English Communication)	2nd semester
टेक्नोलॉजी एडवांसमेन्ट बूटकैम्प	(Technology Advancement Boot camp)	3rd&4th semester
5. बी.कॉम. की छात्राओं के लिये व्यावसायिक कार्यक्रम निम्नवत रहेंगे –		
एम.एस. ऑफिस	(MS Office)	1st semester
फिनेंशियल अकाउटिंग एवं टैली	(Financial Accounting & Tally)	2nd&3rd semester
डिजिटल मार्केटिंग	(Digital Marketing)	4th semester

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम डॉ. बी. आर. आम्बेडकर वि.वि. आगरा द्वारा अनुमोदित हैं। छात्राएं उपरोक्त में से एक कोर्स चारों सेमेस्टर में भी कर सकती है अथवा एक सेमेस्टर के उपरांत बदल भी सकती हैं।

बी.सी.ए. कार्यक्रम

महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से तीन वर्षीय अर्थात् 6 सेमेस्टर का बी.सी.ए. (BCA) कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। जिसके लिए न्यूनतम योग्यता विज्ञान/कॉमर्स से इण्टरमीडिएट है।

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा महाविद्यालय में एक वर्षीय पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित है। जिसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

कला संकाय

1. हिन्दी	2. संस्कृत	3. अंग्रेजी
4. राजनीति शास्त्र	5. समाजशास्त्र

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में शोधकार्य की भी समुचित व्यवस्था है।

वाणिज्य संकाय

एम.कॉम. स्तर पर निम्नलिखित तीनों समूहों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है –

1. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप
2. एकाउण्ट्स एण्ड लॉ ग्रुप
3. एप्लाइड बिजनेस इकॉनोमिक्स ग्रुप

नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक माइनर विषय अपने संकाय से अलग चुनना है। महाविद्यालय में भाषा विषयों तथा एम.काम. की छात्राओं के लिये समाजशास्त्र माइनर विषय के रूप में उपलब्ध है तथा मानविकी एवं एम.कॉम. विषयों के लिये हिन्दी पत्रकारिता माइनर विषय के रूप में उपलब्ध है।

महाविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम

1. प्रवेश के समय सभी छात्राओं को हाईस्कूल व इण्टर की मूल अंक तालिकाओं के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए स्नातक स्तर की अंक तालिका लाना अनिवार्य है।
3. प्राचार्या द्वारा नामित प्रवेश समिति अथवा प्राचार्या को यह अधिकार होगा कि वे असाधारण परिस्थिति में किसी भी छात्रा को प्रवेश देने से इन्कार कर दें अथवा किया गया प्रवेश निरस्त कर दें।
4. बी.ए. प्रथम वर्ष में छात्राओं को इण्टरमीडिएट में लिए गए विषयों के अनुसार तथा योग्यता सूची (मेरिट) के आधार पर ही विषय दिए जायेंगे।
5. छात्रायें अधिकतम दो प्रयोगात्मक विषयों का चयन कर सकती हैं।
6. छात्रायें प्रवेश के समय विषयों का चयन सोच समझ कर करें। एक बार विषय का चयन करने के पश्चात् विषय परिवर्तित करना असम्भव होगा।
7. नये सत्र में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं एवं अभिभावकों के लिये 15 जुलाई 2022 (सम्भावित तिथि) को एक Orientation कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें सभी छात्राओं तथा अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है।
8. प्रवेश लेते समय प्रत्येक छात्रा को अपने पूर्व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक की फोटो कॉपी, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. महाविद्यालय शुल्क को जमा करने के लिए स्वीकृति–पत्र प्रवेशार्थी को तभी मिलेगा, जबकि प्राचार्या या प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार हो जायेगा।
10. शिक्षा सत्र के मध्य में यदि कोई छात्रा कालेज छोड़कर किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेगी, तो उसे पूरे सत्र के देय शुल्क जमा करने होंगे।
11. विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए छात्रा को नामांकन शुल्क रु. 300/– (बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष) देना होगा, तभी वह परीक्षा में बैठ सकेगी।
12. प्रवेश की अन्तिम तिथि, विद्यालय द्वारा घोषित पंजीकरण की अंतिम तिथि तथा शुल्क आदि जमा करने की तिथि विद्यार्थी स्वयं महाविद्यालय से मालूम करें। परीक्षाफल/पुनः परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने

के 15 दिन तक प्रवेश किये जा सकेंगे। इसके बाद प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश की प्रक्रिया –

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exirt) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि –

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू.जी.सी./शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। यू.जी.सी. के नियमों के अनुसार ऑनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- विद्यार्थी को कोर्स के आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेंटाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी।

5. अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान,

मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी.एच.डी. (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7. प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8. पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके संबंध में शासन के पत्र संख्या–60 सत्तर–3–2021–08 (35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9. अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही एम.एस.एम.ई., आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निक के साथ एम.ओ.यू. किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश नियमावली सत्र 2023–24

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (अ) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

   (ब) बीए, बी.कॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएस सी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. (अ) छात्रों द्वारा जितने पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु Apply किया जायेगा, उतने ही पाठ्यक्रमों में web Registration कराना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के अलग–अलग Web Registration फीस देय होगी। संस्था में आवेदन करना भी आवश्यक होगा।

   (ब) छात्रा द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित कराकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

   (स) सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः –

   1. बेब रजिस्ट्रेशन, 2. पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चुनाव चुनना, 3. भुगतान करना, 4. फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके पाँचवे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Admission Monitoring

System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी। प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश की सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. समिति द्वारा Web Registration के रूप में लिये जाने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी करते हुए स्नातक स्तर पर 250/– रू. तथा परास्नातक स्तर पर 350/– देय होंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ) 1. प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 300/– होगा।
   2. महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन 10/– निर्धारित है।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2023–24 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

   (द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2. (अ) सत्र 2023–24 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष / सेमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क के साथ ही 200/– रू. उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

   (ब) एम.ए. में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में Practical एवं Theory में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक एवं साहितियिक विषय में

प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(स) एम.कॉम. में प्रवेश हेतु बी.कॉम. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(द) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 14 अगस्त 2023 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि : शासनादेश के अनुसार
- स्नातक प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 25 मई, 2023
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 14 अगस्त, 2023
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 12 सितम्बर, 2023
- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
- पंजीकरण / प्रवेश की अन्तिम तिथि : 25 अगस्त, 2023
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष पठन–पाठन प्रारम्भ करने की अंतिम तिथि : 05 सितम्बर 2023

उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहे।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन.ई.पी. 2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति 2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।

(द) नई शिक्षा नीति 2020 में प्रवेश हेतु आर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।

(य) कोई भी छात्रा एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी (कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगी। परन्तु स्नातकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते है।

(र) एन.ई.पी. 2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन.ई.पी. 2020 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

4. (अ) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में उपाधि हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

1. विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

2. विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

3. विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्ष) निर्धारित हैं इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

4. किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्रा के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश मामले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्त्तव्य और अधिकार होंगे –

Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the university and such other directions as may be given to him from time to time by the university. Provided that the principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the university and shall report all such cases to the admission committee forth with.

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया है।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी –

1. बीएससी (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बीएससी (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बॉयोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बीएससी (कृषि) के लिए कला एवं वाणिज्य को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. बीएससी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
6. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(ब) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे –

1. उत्तर प्रदेश को भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।
2. निर्धारित मेरिट के अंतर्गत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।
3. विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुल सचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

   समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

   1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
   2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।
   3. अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेश छात्र।

   नोट – कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
4. समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रवेश के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

(स) **शैक्षिक अंकों की गणना –**

(क) **स्नातक कक्षायें –**

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख) **स्नातकोत्तर कक्षायें –**

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनीवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सेकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) **स्नातक कक्षाएं :**

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रुप में राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

(अ) प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ब) द्वितीय विजेता के लिए	4 अंक
(स) तृतीय विजेता के लिए	3 अंक
(द) प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक
2. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को	8 अंक
अथवा	
एन.सी.सी. ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1उत्तीर्ण केडिटों को	6 अंक
अथवा	
एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)	5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक को	5 अंक

5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिये योग्यता अंक की गणना करत समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) **स्नातकोत्तर कक्षाएं :**

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रुप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेनेः–

(अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर	8 अंक
(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने पर	7 अंक
(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने पर	6 अंक
(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये	3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रुप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :–

(अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर — 5 अंक

(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने पर — 4 अंक

(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने पर — 3 अंक

(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये — 2 अंक

3. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य किया तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए — 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(अ) प्रथम विजेता होन के लिए — 5 अंक

(ब) द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक

(स) तृतीय विजेता होने के लिए — 3अंक

(द) प्रतिभाग करने के लिये — 2 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रावर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) <u>सभी कक्षाएं :</u>

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/ अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री — 17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित) — 10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलिट्री फोर्स/अर्द्धसैनिक बल (पुलिस/पी.एस.सी.) में कार्य करते हुए विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में — 17 अंक

टिप्पणी : 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश परीक्षा वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख भी बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अपटू–डेट'' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही अभ्यर्थी का होगा।

9. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किए गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
10. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।
11. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 2.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहिनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जाये।

कुलसचिव

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

यदि वि. वि. द्वारा उपरोक्त नियमावली में कोई भी संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी छात्रों के लिए बाध्यकारी होगा।

– प्राचार्या

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्राओं को सर्वप्रथम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वेब पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश विवरणिका प्राप्त करके प्रवेश फार्म भरकर पंजीकरण कराना होगा।

समस्त पंजीकृत छात्राओं की योग्यता सूची बनाने के बाद उसे महाविद्यालय के सूचना – पटल पर लगाया जाएगा तथा छात्राओं को योग्यता सूची पर उनके स्थान के अनुसार लगभग 10–10 छात्राओं को प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्रवेश समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। **वर्तमान परिस्थितियों में COVID-19 के प्रकोप के कारण यह व्यवस्था की गई है किसी भी समय व किसी भी दिन परिसर में अधिक भीड़–भाड़ न हो। छात्राओं एवं अभिभावकों से भी यह अपेक्षित है कि वे स्वयं अपनी और महाविद्यालय स्टाफ की सुरक्षा की दृष्टि से इस व्यवस्था में सहयोग करें और मास्क पहनना, हाथ धोना व सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे सामान्य बचाव नियमों का पालन करें।**

प्रवेश समिति से साक्षात्कार के समय छात्राओं को समस्त वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। उसके पश्चात् छात्राओं को कार्यालय से चालान लेकर **सेन्ट्रल बैंक, मसानी शाखा में तीन दिन के अन्दर शुल्क जमा करना है तथा संबंधित चालान की एक प्रति महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है** तभी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राध्यापकों की प्रवेश समिति का गठन प्राचार्या द्वारा किया जाता है जो प्रवेश हेतु प्राचार्या को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। प्राचार्या की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी विद्यार्थी का प्रवेश नियमित तथा वैध माना जायेगा।

महाविद्यालय के विशेष नियम

1. छात्रायें शुल्क जमा करने के पश्चात परिचय पत्र प्राप्त कर अनुशासन अधिकारी से हस्ताक्षर करा लें। प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

2. विद्यालय परिसर में छात्राओं का मोबाइल फोन लाना वर्जित है। असाधारण परिस्थितियों में प्राचार्या से लिखित अनुमति लेकर ही मोबाइल महाविद्यालय परिसर में लाया जा सकता है। जिसे परिसर के भीतर स्विच ऑफ रखना अनिवार्य है।

3. महाविद्यालय परिसर में छात्राएं शालीन वेशभूषा अर्थात सलवार सूट, दुपट्टा ही पहनकर आयें। चूड़ीदार, जींस, पेंट, स्कर्ट आदि पहनना वर्जित है।

4. वर्तमान सत्र में COVID-19 के प्रकोप के कारण, सभी छात्राओं को कक्षाओं में मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

5. महाविद्यालय परिसर में सभी छात्राओं के लिए सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य है। परिसर में कहीं भी झुंड बनाकर बैठना, भोजन करना प्रतिबंधित है।

6. सभी छात्राओं को सेनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।

छात्राओं के लिए आवश्यक गणवेश (UNIFORM)

महाविद्यालय की अपनी प्रतीक वेशभूषा है, जिसमें श्वेत साड़ी अथवा सलवार–कुर्ता और नारंगी वर्ण का दुपट्टा होगा। श्वेत साड़ी के साथ नारंगी रंग का ब्लाउज अपेक्षित है। साथ ही सभी छात्राओं को सदैव शालीन वेषभूषा में ही महाविद्यालय में आना अनिवार्य है। बहुत चुस्त कपड़े या खुले गले या बाहों रहित कुर्ते इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। छात्रायें काले जूते पहनकर महाविद्यालय आयें। शीतकाल में काला स्वेटर पहनना अनिवार्य है। यह गणवेश नित्य धारण करके आना आवश्यक व अनिवार्य है अन्यथा छात्राएं आर्थिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दण्ड की अधिकारी होंगी। **महाविद्यालय गणवेश में सादा सफेद घुटनों तक लम्बा कुर्ता तथा सलवार ही मान्य होगी। किसी भी पारदर्शी कपड़े तथा चिकन आदि के कुर्ते तथा चूड़ीदार पजामा आदि पहनना वर्जित है।**

प्रवेश निरस्तीकरण

1. जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश कराकर शुल्कादि जमा नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
2. निम्नलिखित कारणों से किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे दिया गया है तो तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
   क. इस महाविद्यालय में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।
   ख. अन्य महाविद्यालय की गत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना।
   ग. विश्वविद्यालय की गत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना।
   घ. अन्य कोई कारण जो महाविद्यालय के अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में महत्वपूर्ण है।
3. **डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नियमानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन–पत्र बिना कारण बताये संस्था के व्यापक हित में अस्वीकृत कर सकते हैं अथवा दिया गया प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।**

टिप्पणी – उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त समय समय पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्रकाशित प्रवेश नियम लागू होंगे।

महाविद्यालय में छात्राओं हेतु उपलब्ध विशेष सुविधाएं

- 30 कम्प्यूटर्स से युक्त एक कम्प्यूटर लैब।
- Institute of Company Secretaries of India (ICSI) द्वारा अधिकृत अध्ययन केन्द्र, जिसमें Professionals द्वारा C.S. Foundation, Executive, Professional पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा CS Entrance हेतु कोचिंग की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की दो इकाइयाँ संचालित।
- शिक्षक अभिभावक संघ
- पुरातन छात्रा परिषद।
- Skype एवं अन्य वेब साइट्स की सहायता से दूरस्थ शिक्षण की व्यवस्था।
- English Language Lab (अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला), तथा Computer Centre
- नियमित Job fair & Placement drive (रोजगार मेला)।
- योग शिविर, संस्कृत सम्भाषण शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
- मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु मध्यावधि परीक्षा (Mid-Term Exams).
- पुस्तकालय में छात्राओं के पठन–पाठन हेतु पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध।
- महाविद्यालय पुस्तकालय में E-Learning Section जहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकों की Downloaded Soft Copies उपलब्ध।
- भव्य एवं तकनीकी सुविधाओं से युक्त Conference Hall.
- शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के आयोजनों हेतु विशाल सभागार।
- रेंजर्स की दो इकाई कार्यरत।
- मथुरा शहर में NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा मूल्यांकित प्रथम एवं एकमात्र वित्तपोषित महाविद्यालय।
- बॉलीबॉल, बैडमिण्टन, बॉस्केट बॉल, टेबिल टेनिस, कराटे–जूडो, योग, कैरम, शतरंज, मार्शल आर्ट्स, ताईक्वाण्डो एवं रिद्मिक जिमनास्टिक का प्रशिक्षण।
- कम्प्यूटरीकृत व्यवस्थाओं से युक्त कार्यालय।
- छात्रवृत्ति योजनाएं Students Welfare fund (S.A.F.) शुल्क में छूट संबंधी योजनाएं आदि।
- छात्रा कल्याण प्रकोष्ठ।
- वार्षिक पत्रिका 'आस्था' एवं अर्द्धवार्षिक समाचार पत्रिका 'प्रवाह'।
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं शिकायत पेटिका।
- कैन्टीन।
- शिक्षिकाओं द्वारा पावर पॉइण्ट के माध्यम से शिक्षण एवं छात्राओं के लिए भी पावर पॉइण्ट प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था।
- समय–समय पर कौशल विकास की विभिन्न कार्यशालाओं की व्यवस्था जैसे पेंटिग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पोशाक बनाना आदि।
- समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में योग्यता आधारित विशेष छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क में 50% तक की छूट।

शुल्क विवरण

(विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शुल्क ही देय होगा)

विशेष : जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(क) अनुदानित विषयों का शुल्क विवरण

क्र. सं.	नाम शुल्क	बी. ए.	एम. ए.
1	शिक्षण शुल्क	----	----
2	मंहगाई शुल्क	42.00	42.00
3	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
4	पुस्तकालय-वाचनालय	30.00	30.00
5	निर्धन विद्यार्थी कोष	12.00	12.00
6	प्रवेश प्रार्थना-पत्र (पंजीकरण के समय देय)	2.00	2.00
7	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
8	विकास शुल्क	30.00	30.00
9	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
10	गृह परीक्षा शुल्क	50.00	50.00
11	परिचय पत्र / दैनन्दिनी शुल्क	8.00	8.00
12	ऊष्ण एवं शीत शुल्क	24.00	24.00
13	पंखा शुल्क	300.00	300.00
14	विद्यार्थी कल्याण शुल्क	12.00	12.00
15	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	200.00	200.00
16	प्रयोगशाला के प्रासंगिक शुल्क (केवल प्रयोगात्मक विषयों के लिए)	25.00	25.00
17	पुस्तकालय व्यय प्रासंगिक शुल्क	30.00	30.00
18	वि. वि. नामांकन शुल्क (केवल प्रथम वर्ष हेतु)	300.00	300.00
19	छात्रा परिषद् शुल्क	9.00	9.00
20	दीक्षान्त तथा वार्षिक उत्सव	10.00	10.00
21	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	18.00	18.00
22	सांस्कृतिक शुल्क	50.00	50.00
23	पुस्तकालय प्रतिभूति (उसी सत्रांत में ही वापिस की जा सकेगी)	50.00	50.00
24	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (बी.ए.)	1600.00	----
25	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (एम.ए.)	----	----
26	उपाधि शुल्क (प्रथम वर्ष में देय)	200.00	200.00

नोट - 1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र के मध्य में भी शुल्क में परिवर्तन संभव है, जिसे छात्राओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

*2. एम.ए. का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से परीक्षा फार्म जमा करते समय देय होगा।

(ख) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का शुल्क विवरण (सत्र 2023–24)

S. No.	शुल्क का नाम	B.Com I	B.Com II & III	B.Sc. - I (ZBC)	B.Sc. II&III (ZBC)	B.Sc. - I (PCM, PSM, PMCs)	B.Sc. II & III (PCM, PSM, PMCs)	B.C.A.	P.G.D.J.	M.A. English	M.A. Hindi	M.A. Political Science	M.A. Sociology	M.Com.	B.A. (Drawing) per year	B.A. Pol. Sc. Eco., His., Pre-Sub/ per year
1	शिक्षण शुल्क	4400	4400	4000	4000	3800	3800	12800	3200	4000	2400	3200	3200	4800	400	400
2	मंहगाई शुल्क	900	900	700	700	700	700	3200	600	700	500	600	600	900	0	0
3	चिकित्सा शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
4	निर्धन विद्यार्थी कोष	500	500	300	300	300	300	1000	300	300	200	300	300	500	0	0
5	प्रवेश शुल्क	500	500	500	500	500	500	2000	500	600	500	500	500	1000	0	0
6	गृह परीक्षा शुल्क	100	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100	100	0	0
7	परिचय पत्र/डायरी शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0
8	ऊष्ण एवं शीत शुल्क	500	500	400	400	400	400	2800	300	500	300	500	500	500	0	0
9	पत्रिका शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0
10	प्रयोगशाला शुल्क	0	0	900	1000	700	700	2500	0	0	0	0	0	0	240	0
11	नामाकंन शुल्क	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	पुस्तकालय शुल्क	300	300	300	300	300	300	1200	300	400	200	300	300	400	50	50
13	सेमीनार शुल्क	500	500	200	200	200	200	1000	600	800	200	600	600	600	100	100
14	व्यक्तित्व विकास शुल्क	500	500	200	200	200	200	500	400	500	200	400	400	600	50	50
15	भवन एवं विकास शुल्क	1000	1200	700	800	800	800	3000	600	900	500	600	600	1000	200	200
16	क्रीड़ा एवं पराशैक्षणिक गतिविधि शुल्क	1000	1100	900	1000	1000	1000	1000	600	700	400	600	600	1100	200	200
	योग	**11000**	**11000**	**10000**	**10000**	**9500**	**9500**	**32000**	**8000**	**10000**	**6000**	**8000**	**8000**	**12000**	**1240**	**1000**
17	वोकेशनल कोर्स शुल्क	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	वि.वि. परीक्षा शुल्क	1600	1600	1600	1600	1600	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	महायोग	**13100**	**13100**	**12100**	**12100**	**11600**	**11600**	**32000**	**8000**	**10000**	**6000**	**8000**	**8000**	**14000**	**1240**	**1000**

नोट –1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र के मध्य में भी शुल्क में परिवर्तन संभव है, जिसे छात्राओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

2. स्नातक प्रथम वर्ष हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शुल्क पुनर्निधारण की प्रक्रिया चल रही है अत: इन सभी छात्राओं को पुनर्निधारित शुल्क देना अनिवार्य होगा। तभी छात्रा परीक्षा में बैठने की अधिकारी होगी। 3. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क रू. 100/– देय होगा। 4. टी.सी. जारी कराते समय शुल्क रू. 50/– देय होगा।

5. स्नातक/स्नातकोत्तर की सभी छात्राओं को उपाधि शुल्क रू. 200/– देय होगा। 6. बी.सी.ए./पी.जी डिप्लोमा/एम.ए./एम.काम. का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क अलग देय होगा।

प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान

क्र. सं.	कक्षा	CATEGORY					TOTAL
		1	2	3	4	5	
		सामान्य 47%	आर.अनु.जाति. 21%	आर.पि.जाति. 27%	आर.अनु.ज.जाति. 2%	आर. विकलांग 3%	
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	235	105	135	10	15	**500**
2.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	85	38	48	4	5	**180**
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	85	76	97	7	11	**360**
4.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	28	13	16	1	2	**60**
5.	एम.ए. पूर्वार्द्ध						
	(क) हिन्दी	37	16	22	2	3	**80**
	(ख) संस्कृत	37	16	22	2	3	**80**
	(ग) अंग्रेजी	37	16	22	2	3	**80**
	(घ) समाज शास्त्र	28	13	16	1	2	**60**
	(ड) राजनीति विज्ञान	28	13	16	1	2	**60**
6.	एम. कॉम. पूर्वार्द्ध	37	16	22	2	3	**80**
7.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता	28	13	16	1	2	**60**

(ग) शुल्क संबंधी अन्य नियम

(1) प्रयोगशाला शुल्क – मनोविज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, गृहविज्ञान विषय के लिये रू. 20/– प्रतिमाह (240/– कुल) प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क फीस के साथ जमा करना होगा।

(2) महाविद्यालय से नाम कट जाने पर रू. 3/– पुनः प्रवेश शुल्क के साथ फीस देनी होगी।

(3) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र फार्म प्राप्त करने के लिये रू. 2/– प्रति प्रमाण पत्र शुल्क देय होगा।

(4) विश्वविद्यालय परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

(5) असाधारण परिस्थितियों में विषय के परिवर्तन पर प्रयोगात्मक शुल्क का समायोजन नहीं किया जायेगा। परिवर्तित विषय का शुल्क – भुगतान पुनः करना होगा।

शुल्क भुगतान

1. **सभी विद्यार्थियों / अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी प्रवेश सम्बन्धी साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चालान प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर फीस सैन्ट्रल बैंक, मसानी ब्रांच (दीप गैस सर्विस के सामने) में जमा करा दें अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।**
2. **फीस जमा करने के उपरान्त फीस चालान दिखाकर परिचय–पत्र प्राप्त कर लें। प्रवेश के एक माह के अन्दर मुख्य अनुशासन अधिकारी से हस्ताक्षर करा लें। तत्पश्चात फीस की रसीद दिखाकर सूचनानुसार नामांकन प्रपत्र व परीक्षा फार्म प्राप्त कर लें।**
3. **कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर समस्त सूचनाए लगाई जाती हैं। छात्राओं की जिम्मेदारी है कि वे नोटिस बोर्ड की सूचनायें नियमित रूप से पढ़ें तथा उनके अनुसार ही कार्य करें।**

उपस्थिति

प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय के आदेशानुसार 75% उपस्थिति का होना आवश्यक है। अतः 75% से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बिना अनुमति के 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर भी प्राचार्या द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्रा एवं उसके अभिभावकों का ही होगा।

वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्तियाँ

(क) विद्यार्थी सहायता कोष –

महाविद्यालय में विद्यार्थी सहायता कोष है। इस कोष में निम्न नियमों के अनुसार निर्धन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

1. विद्यार्थी सहायता कोष में से आर्थिक सहायता लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को घोषित अन्तिम निर्धारित तिथि तक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने होंगे।
2. यह आर्थिक सहायता पुस्तकों, वस्त्रों, औषधियों, शुल्क में कमी को पूरा करने आदि के लिये ही प्रदान की जायेगी।
3. आवेदक को अपनी सभी स्रोतों से प्राप्त पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी /लोकसभा सदस्य/विधायक/सरपंच/तहसीलदार/सेवायोजक से प्रमाणित कराके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। विशेष स्थितियों में प्रबन्ध समिति के सदस्यों और अध्यापकों द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्रों एवं संस्तुत आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।
4. आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले छात्राओं की सूची घोषित होने के बाद किसी भी दशा में कोई प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता के लिये अमान्य होगा।
5. **आर्थिक सहायता हेतु प्रतिभाशाली छात्राओं को वरीयता दी जायेगी।**
6. **किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण रहने वाली छात्रा को सहायता नहीं दी जायेगी।**
7. **किसी भी विषय में निर्धारित उपस्थिति से कम होने पर छात्रा को आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।**
8. **प्रत्येक छात्रा को शुल्क में सहायता के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ पिछली कक्षा की अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है।**

(ख) राजकीय छात्रवृत्तियाँ –

महाविद्यालय में सरकार द्वारा निर्धारित विशेष छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित वर्गों की छात्राओं के लिये उपलब्ध हैं।

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग।
3. सामान्य वर्ग।
4. अल्पसंख्यक वर्ग।

वांछित अर्हताएँ

1. छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय एवं मूल निवास प्रमाण पत्र तथा उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिकायें, फीस की रसीद आदि की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं के अभिभावकों की आय 2,00,000/– वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

3. अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आय 1,00,000/– वार्षिक से अधिक न हो।

4. छात्रवृत्ति की राशि छात्राओं के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, शाखा वृन्दावन गेट, मण्डी रामदास, मथुरा में खोलना अनिवार्य होगा।

नोट :1. **छात्राओं को प्रवेश के समय ही अपना छात्रवृत्ति आवेदन जमा करना होगा। इसके पश्चात् के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

2. **अधिक जानकारी के लिये छात्राएं कार्यालय लिपिक श्री आशीष शर्मा से सम्पर्क कर सकती है।**

3. **जो छात्राएं किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/ आर्थिक सहायता/शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन करेंगी, उनकी उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम होने की दशा में उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा वे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की अधिकारी नहीं होंगी।**

(ग) विशेष योग्यता छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने तथा होनहार एवं मेधावी छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए प्रबंध समिति द्वारा विशेष योग्यता छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं में निम्न व्यवस्था के अनुसार मेधावी छात्राओं का चयन कर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी –

(अ) बी.एस.सी., बी.कॉम, प्रथम वर्ष की उन सभी छात्राओं को **शिक्षण शुल्क** के पचास प्रतिशत 50% के बराबर शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करेंगी। उक्त परीक्षा में बैठने के लिए इण्टरमीडिएट में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं अर्ह होंगी।

(ब) बी.कॉम. (द्वितीय, तृतीय वर्ष) तथा एम.कॉम., एम.ए. (हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की उन सभी छात्राओं को शिक्षण शुल्क के 50% के बराबर जिन्होंने पूर्व वर्ष की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

उपरोक्त अर्हता शर्तों में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा असाधारण परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

सन् 1975 से महाविद्यालय में उक्त योजना को क्रियान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में सहयोग, सेवा भावना जाग्रत करना व देश में पड़ने वाले दुर्भिक्ष, सूखा, अतिवृष्टि, महामारी इत्यादि से पीड़ित समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर वहां स्वच्छता व गृहशिल्प का प्रसार एवं निरक्षरता का उन्मूलन करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयाँ महाविद्यालय में संचालित हैं। **राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्यता के लिए बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं को कार्यालय में श्री पवन सिकरवार से फार्म प्राप्त करके भरना एवं निर्धारित समय तक जमा करना अति आवश्यक है।**

रोवर्स एवं रेंजर्स

छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय प्रतिबद्ध है, अतः छात्राओं के लिए रोवर्स एवं रेंजर्स की दो इकाईयों में प्रशिक्षण, कैम्प, प्रतियोगिताओं आदि की समुचित व्यवस्था है।

खेल सुविधाएं

महाविद्यालय में छात्राओं के शारीरिक विकास एवं मनोरंजन हेतु इनडोर क्रीड़ा परिसर बनाया गया है, जिसमें छात्रायें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल आदि खेलों का अभ्यास कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में हॉकी, क्रिकेट, कराटे, दौड़ व कबड्डी आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय में छात्राओं के लिये प्रतिवर्ष कराटे कैम्प का आयोजन किया जाता हैं। पूर्व में अनेक छात्राओं ने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन योगाभ्यास तथा व्यायाम की कक्षाएं संचालित किये जाने की व्यवस्था भी है। महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर टेबिल टेनिस, कबड्डी आदि की अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा

छात्राओं में स्वस्थ मानसिकता एवं आध्यात्मिक चेतना जाग्रत करने एवं गीता के पठन–मनन के अतिरिक्त समय समय पर अन्य धर्मों से सम्बन्धित परिचर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। सभी धर्मो के आदर्श मनीषियों के चरित्रों एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालकर छात्राओं के उत्थान का प्रयास किया जाता है। विविध व्यायामों एवं आसनों के शिक्षण द्वारा स्वस्थ एवं सुविकसित शरीर निर्माण की ओर छात्राओं को अग्रसर किया जाता है। छात्राओं के लिये समय–समय पर **आर्ट ऑफ लिविंग** संस्था द्वारा व्यक्तित्व विकास के शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका, भित्ति पत्रिका एवं मुख पत्र

छात्राओं की लेखन शैली के विकास एवं कल्पनाओं के उर्वरीकरण हेतु वार्षिक पत्रिका **'आस्था'** का प्रकाशन इस विद्यालय का संकल्प है। छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों द्वारा लिखित रचनाएँ नियमित रूप से पत्रिका में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त छात्राओं की दैनिक/साप्ताहिक प्रविष्टियों के लिए पुस्तकालय भवन में **भित्ति पत्रिका** भी लगाई गई है। छात्रायें इसमें अपनी रचनायें प्रविष्ट कराने के लिए डॉ. सुषमा जैन, प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग से सम्पर्क कर सकती हैं।

छात्राओं एवं अभिभावकों से संवाद–स्थापित करने के उद्देश्य से तथा छात्राओं/अभिभावकों को महाविद्यालय की शैक्षिक एवं पराशैक्षिणिक गतिविधियों, समाचारों एवं भावी योजनाओं से अवगत कराने के लिए महाविद्यालय द्वारा एक अर्धवार्षिक मुखपत्र **'प्रवाह'** का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें छात्राओं की रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। इसमें प्रकाशानार्थ रचनाएं देने के लिए छात्राएं हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षाओं से सम्पर्क कर सकती हैं।

चिकित्सा सुविधाएं

छात्राओं के लिए विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित चिकित्सकों की सेवायें तत्काल उपलब्ध करायी जाती हैं।

1. **डॉ. मनीष बंसल**, एम.डी., 2. **डॉ. ऋचा बंसल**, एम.डी., 3. **डॉ. सुशील कुमार**, एम.बी.बी.एस.

प्रार्थना सभा

महाविद्यालय में छात्राओं को महत्वपूर्ण सूचनायें देने व छात्राओं से परस्पर संवाद स्थापित करने की दृष्टि से प्रति सप्ताह सोमवार एवं बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक छात्रा एवं समस्त शिक्षिकाओं का उपस्थित रहना आवश्यक है।

मध्यावधि गृह परीक्षाएं

छात्राओं द्वारा पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से समझने व वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाविद्यालय द्वारा सत्र के मध्य में गृह परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। गृह–परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर छात्रा को मुख्य परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। गृह परीक्षाओं के आधार पर ही छात्राओं के 25% आन्तरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान किए जाते हैं।

साहित्यिक एवं विषय परिषदें

महाविद्यालय की प्राध्यापिकाओं एवं अन्य सदस्यों के निर्देशन में सभी विषय परिषदें विद्यार्थियों द्वारा बनाई तथा चलाई जाती हैं। अपनी–अपनी विषय परिषद् की सदस्यता प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है। इसके लिये छात्रायें संबंधित विषय की शिक्षिकाओं से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकती है।

महाविद्यालय सप्ताह एवं प्रतियोगिताएं

1. छात्राओं की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिये प्रतिवर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। जिसमें वाद–विवाद प्रतियोगिता, अभिनय, नृत्य, संगीत, भाषणादि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। विजेता छात्राओं को पुरस्कार के साथ–साथ प्रमाण–पत्र भी दिया जाता है।
2. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में प्रतिवर्ष अन्तर्महाविद्यालय स्तर पर निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है –

   (क) श्री कन्हैया लाल अग्रवाल स्मृति वाद–विवाद प्रतियोगिता।

   (ख) श्री बैजनाथ सर्राफ (वृन्दावन) एवं श्रीमती शांति देवी स्मृति हिन्दी निबंध प्रतियोगिता।

   (ग) श्री किशन लाल सर्राफ स्मृति अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता।

   (घ) श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट स्मृति भाषण प्रतियोगिता।

   (ङ) श्री दीनानाथ कसेरे स्मृति सुगम संगीत प्रतियोगिता।

(च) श्री पुरूषोत्तम दास एव श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मृति पोस्टर प्रतियोगिता।

(छ) श्री रूपकिशोर भरतिया एवं श्रीमती बीना भरतिया स्मृति लोकनृत्य प्रतियोगिता।

इन सभी प्रतियोगिताओं में आगरा विश्वविद्यालय के अनेकों महाविद्यालयों की टीमें प्रतिवर्ष प्रतिभाग करती हैं।

3. महाविद्यालय के स्थापना दिवस 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष छात्राओं के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है।

4. समय–समय पर किसी एक विषय में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी महाविद्यालय द्वारा अवश्य किया जाता है। जिससे छात्राओं को उस विषय में देश–विदेश में होने वाले नवीनतम शोध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।

सर्वश्रेष्ठ छात्रा पुरस्कार

महाविद्यालय में छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से विगत वर्षो से विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ छात्रा पुरस्कार प्रारम्भ किए गए हैं। अलग–अलग विषयो व क्षेत्रों में प्रतिभावान छात्राओं की वर्ष भर की गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर सत्र के अंत में प्रतिवर्ष निम्न 6 क्षेत्रों मे सर्वश्रेष्ठ छात्रा का चयन करके उसे पुरस्कृत किया जाता है–

1. सामाजिक–विज्ञान	2. ललितकला	3. वाणिज्य
4. क्रीड़ा	5. साहित्य	6. विज्ञान

इसके अतिरिक्त पूरे सत्र में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा के लिए वर्ष की **सर्वश्रेष्ठ छात्रा (Student of the year)** को 11000/– **रु.** का नकद पुरस्कार, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी **श्री हित सरन जी सर्राफ, वृन्दावन** द्वारा प्रदान किया जाता है।

रोजगार परामर्श एवं स्थापना

महाविद्यालय में छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग सैल के द्वारा उचित रोजगार हेतु समय समय पर विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है। साथ ही उनको पढ़ाई के दौरान ही रोजगार मिल जाये, ऐसी व्यवस्था हेतु विभिन्न संस्थानों को भी आमन्त्रित किया जाता है। विगत वर्षो में महाविद्यालय की बहुत सी छात्रायें महाविद्यालय के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। महाविद्यालय में समय–समय पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।

शिक्षक–मूल्यांकन

महाविद्यालय प्रशासन प्रत्येक स्तर पर शिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक विषय में सुयोग्य शिक्षकों का चयन एवं समय–समय पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। छात्राओं द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं का मूल्यांकन भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से किया जाता है तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी दिया जाता है। जिसमें छात्राओं के मतों को श्रेष्ठ शिक्षक/शिक्षिका के चयन का आधार बनाया जाता है, जिससे छात्राओं की भागीदारी भी शिक्षण गुणवत्ता बढाने में सुनिश्चित होती है।

पुरातन छात्रा परिषद्

महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं को महाविद्यालय की विविध गतिविधियों से जोड़े रखने तथा उन्हें महाविद्यालय परिवार का अंग बनाये रखने हेतु वर्ष 2005–06 में पुरातन छात्रा परिषद् का गठन किया गया। गर्व का विषय है कि महाविद्यालय की अनेक पुरातन छात्रायें देश–विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं व शैक्षिक, सांस्कृतिक, खेल आदि गतिविधियों में ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। परिषद् की सदस्याओं के लिये समय–समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। उन्हें विविध कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है व सम्मानित भी किया जाता है। वर्तमान में लगभग 1700 पुरातन छात्राएं परिषद् की सदस्य हैं।
इसका सदस्यता शुल्क 50 रूपये है जो छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ते वक्त जमा किया जाता है।

अनुशासन मण्डल

1. महाविद्यालय में एक अनुशासन समिति है, जो विद्यालय में शान्ति और सौहार्द के वातावरण को बनाये रखती है। इस समिति का संचालन एवं निर्देशन मुख्य अनुशासन अधिकारी की देख रेख में होता है। इस समिति में कुछ शिक्षिकायें एवं छात्राएँ आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए जाते हैं। **प्रवेश लेने के 15 दिन के अन्दर प्रत्येक छात्रा को मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा अपना परिचय पत्र हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है।**
2. **छात्रा की परिचय पत्र पर लगने वाली फोटो पूर्ण गणवेश में होनी चाहिये।**
3. परिचय पत्र की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व छात्रा का है इसके खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र रू. 20/– दण्ड शुल्क के साथ अपना एक फोटो लाकर देने पर ही प्रदान किया जायेगा।
4. अनुशासन समिति द्वारा किसी भी समय परिचय पत्र माँगा जा सकता है तथा इसके न होने पर छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश से रोका जा सकता है।
5. नवीन सूचना के लिए प्रतिदिन सूचना–पट देखना अनिवार्य है।
6. किसी भी प्रकार के विघटनकारी तत्वों से न कोई सम्बन्ध छात्राओं को रखना होगा और न ही वे इस प्रकार के विचारों का प्रसार कर सकेंगी। ऐसा होने पर प्राचार्या द्वारा दण्ड दिया जायेगा, जो अर्थदण्ड से लेकर निष्कासन तक हो सकता है। यह दण्ड छात्रा को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
7. अवांछनीय व्यवहार और चरित्र के होने पर महाविद्यालय से छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।
8. अध्यापन काल में अध्ययन कक्ष के समक्ष या अन्यत्र जोर से बोलना या बरामदे में बैठना वर्जित है। महाविद्यालय की गरिमा और गाम्भीर्य के लिये शान्त और अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक है।
9. परीक्षाकाल में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर दण्ड बाध्यकारी है।
10. छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शैक्षिक गतिविधियों से अपने अभिभावकों को अवगत कराती रहें। अभिभावकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रा को कॉलेज के सभी नियमों के पालन में सहयोग देने को प्रेरित करें एवं समय–समय पर महाविद्यालय आकर अपनी पाल्या के व्यवहार एवं प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहें।

पुस्तकालय के नियम व निर्देश

1. छात्राएं प्रवेश के समय मिलने वाली रसीद पुस्तकालय में दिखाकर पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकती हैं।
2. पुस्तकें केवल महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ही निर्गत की जायेंगी।
3. किसी भी छात्रा को केवल सम्बन्धित विषय की पुस्तकें ही निर्गत की जायेंगी।
4. **संस्थागत छात्रा को एक समय पर एक या दो पुस्तकें केवल 14 दिनों के लिये ही निर्गत की जायेंगी।**
5. **छात्रा को 14 दिनोपरांत प्रतिदिन, प्रति पुस्तक 1 रु. अर्थदण्ड देय होगा। पुस्तक गुम हो जाने की दशा में उसी लेखक एवं शीर्षक की नवीनतम पुस्तक जमा करानी होगी या पुस्तक का पाँच गुना मूल्य जमा कराना होगा।**
6. संस्थागत छात्राओं को पुस्तकें केवल उनकी कक्षा के लिये निर्धारित दिनों पर ही निर्गत तथा वापस ली जायेगी।
7. फटी हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई पुस्तकों को वापसी हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा उसे खोया हुआ माना जायेगा। प्राप्तकर्ता ऐसी पुस्तक को वापस करते समय लेने से मना कर सकते हैं।
8. पत्रिकायें व समाचार पत्र निर्गतनीय नहीं हैं। उन्हें निर्गत नहीं किया जायेगा।
9. पुस्तकालय में शान्ति एवं स्वच्छता बनाये रखें। पुस्तकालय में स्वयं अनुशासन का पालन करें।
10. पुस्तकालय के खुलने का समय महाविद्यालय कार्यालय के खुलने के समयानुसार होगा।
11. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. की निर्धन छात्राओं के लिये बुक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रशासनिक समितियाँ

महाविद्यालय में प्रभावी प्रशासन, कक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2023–24 के लिए निम्न समितियाँ गठित की गई हैं। सभी शिक्षिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में अनुशासन के अनुपालन हेतु संबंधित समिति प्रभारियों के निर्देशन में कार्य करें।

(1) अनुशासन समिति

1. डॉ. कल्पना वाजपेयी – मुख्य अनुशासन अधिकारी
2. डॉ. मंजू दलाल – उप मुख्य अनुशासन अधिकारी
3. सुश्री मेनिका गुप्ता – अनुशासन अधिकारी
4. कु. प्रतिभा – अनुशासन अधिकारी
5. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा – अनुशासन अधिकारी
6. डॉ. राजेश वर्मा – अनुशासन अधिकारी
7. श्रीमती रत्ना शर्मा – सहायिका

(2) सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

1. डॉ. संध्या – प्रभारी
2. डॉ. शताक्षी सिंह – सदस्या
3. डॉ. सुषमा जैन – सदस्या
4. डॉ. ऋचा शर्मा – सदस्या
5. डॉ. नेहा सक्सेना – सदस्या
6. डॉ. मधुमिता – सदस्या
7. सुश्री दिव्यांशी शर्मा – सदस्या
8. श्रीमती रत्ना शर्मा – सहायिका

(3) पुस्तकालय समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. सुषमा जैन – सदस्या
3. डॉ. पल्लवी शुभा – सदस्या
4. श्री पवन सिकरवार – सहायक

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– अनुदान समिति

1. डॉ. भारती सागर – प्रभारी
2. डॉ. स्मृति शर्मा – सदस्या
3. श्री पवन सिकरवार – सहायक

(5) क्रय समिति

1. डॉ. अर्चना पाल – प्रभारी
2. डॉ. संध्या – सदस्या
3. डॉ. मंजू दलाल – सदस्या
4. श्री पवन सिकरवार – सहायक

(6) समय–सारिणी समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. संध्या – सदस्या

(7) भवन एवं फर्नीचर रख–रखाव समिति

1. डॉ. अर्चना पाल – प्रभारी
2. डॉ. सोमा दास – सदस्या
3. डॉ. पूजा राय – सदस्या
4. श्री आशीष शर्मा – सहायक

(8) छात्रा कल्याण समिति

1. डॉ. कल्पना वाजपेयी – प्रभारी
2. डॉ. संध्या – सदस्या
3. डॉ. सीमा शर्मा – सदस्या

(9) खेल–कूद समिति

1. डॉ. मंजू दलाल – प्रभारी
2. डॉ. पूजा राय – सदस्या
3. डॉ. गरिमा – सदस्या
4. डॉ. सीमा शर्मा – सदस्या

(10) प्रवेश विवरणिका समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. संध्या – सदस्या
3. श्रीमती पूजा पालीवाल – सदस्या

(11) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. डॉ. कल्पना वाजपेयी – प्रभारी
2. सुश्री मेनिका गुप्ता – सदस्या
3. सुश्री सोनम यादव – सदस्या

(12) फीडबैक संग्रह एवं विश्लेषण समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. भारती सागर – सदस्या
3. डॉ. सुषमा जैन – सदस्या
4. डॉ. अर्चना सोनिया – सदस्या
5. डॉ. राजेश वर्मा – सदस्या

(13) राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. कल्पना वाजपेयी – सदस्या
3. डॉ. सीमा शर्मा – सदस्या

(14) शोध सलाहकार समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. अर्चना पाल – सदस्या
3. डॉ. भारती सागर – सदस्या

(15) रैगिंग निरोधक प्रकोष्ठ

1. डॉ. अर्चना पाल – प्रभारी
2. डॉ. राजेश वर्मा – सदस्या
3. श्रीमती पूजा पालीवाल – सदस्या

(16) कैरियर काऊंसिलिंग एवं रोजगार प्रकोष्ठ

1. डॉ. कल्पना वाजपेयी – प्रभारी
2. डॉ. स्मृति शर्मा – सदस्या
3. सुश्री सोनम यादव – सदस्या
4. डॉ. सुषमा जैन – सदस्या
5. डॉ. पल्लवी शुभा – सदस्या

(17) पत्रिका लेख संकलन समिति

1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल – प्रभारी
2. डॉ. भारती सागर – सदस्या
3. डॉ. प्रतिभा – सदस्या
4. डॉ. संध्या – सदस्या

(18) आस्था/प्रवाह वितरण समिति

1. डॉ. नेहा सक्सेना – प्रभारी
2. डॉ. योगेन्द्री – सदस्या

(19) छात्रवृत्ति समस्या समाधान समिति

1. डॉ. अर्चना पाल – प्रभारी
2. डॉ. भारती सागर – सदस्या
3. सुश्री मेनिका गुप्ता – सदस्या

(20) कौशल–विकास/स्ववित्त पाठ्यक्रम समिति

1. डॉ. संध्या – प्रभारी
2. सुश्री मेनिका गुप्ता – सदस्या
3. डॉ. ऋचा शर्मा – सदस्या
4. श्रीमती पूजा पालीवाल – सदस्या

(21) परिसर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समिति

1. डॉ. अर्चना पाल – प्रभारी
2. डॉ. नेहा सक्सेना – सदस्या
3. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा – सदस्या

(22) महिला प्रकोष्ठ

1. डॉ. भारती सागर – प्रभारी
2. डॉ. सोमा दास – सदस्या
3. डॉ. गरिमा – सदस्या
3. डॉ. राजेश वर्मा – सदस्या

(23) कोविड काउन्सलिंग समिति

1.	डॉ. अर्चना पाल	–	प्रभारी
2.	डॉ. सीमा शर्मा	–	सदस्या
3.	श्रीमती पूजा पालीवाल	–	सदस्या

(24) पर्यावरण क्लब

1.	डॉ. भारती सागर	–	प्रभारी
2.	डॉ. सुषमा	–	सदस्या
3.	डॉ. राजेश वर्मा	–	सदस्या
4.	श्रीमती शताक्षी सिंह	–	सदस्या

(25) छात्रा स्वास्थ्य समिति

1.	डॉ. मंजू दलाल	–	प्रभारी
2.	डॉ. सीमा शर्मा	–	सदस्या
3.	डॉ. पल्लवी शुभा	–	सदस्या

(26) परीक्षा परिणाम संकलन

1.	डॉ. भारती सागर	–	प्रभारी
2.	डॉ. सोमा दास	–	सदस्या
3.	सुश्री प्रतिभा	–	सदस्या
4.	डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा	–	सदस्या

(27) साहित्यिक क्लब

1.	डॉ. अंजुबाला अग्रवाल	–	प्रभारी
2.	डॉ. अर्चना पाल	–	सदस्या
3.	डॉ. पूजा राय	–	सदस्या
4.	डॉ. स्मृति शर्मा	–	सदस्या

(28) नवाचार परिषद

1.	अंजुबाला अग्रवाल	–	प्रभारी
2.	डॉ. भारती सागर	–	सदस्या
3.	डॉ. संध्या	–	सदस्या
4.	डॉ. गरिमा	–	सदस्या

(29) छात्रा परिषद् समिति

1.	डॉ. भारती सागर	–	प्रभारी
2.	डॉ. संध्या	–	सदस्या
3.	डॉ. सुषमा जैन	–	सदस्या
4.	श्रीमती मधुमिता	–	सदस्या

(30) पुरातन छात्रा समिति

1.	डॉ. अंजुबाला अग्रवाल	–	प्रभारी
2.	सुश्री खुशबू	–	सदस्या
3.	सुश्री दिव्यांशी	–	सदस्या
4.	श्रीमती पूजा पालीवाल	–	सदस्या

(31) विभिन्न कार्यो के लिए छात्राओं के आवेदन/प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत प्राध्यापिकाएं

1.	स्थानातंरण/चरित्र प्रमाण पत्र	–	डॉ. अंजुबाला अग्रवाल
2.	छात्राओं के बैंक खाते खोलने संबंधी आवेदन	–	डॉ. अर्चना पाल
3.	छात्राओं की अंकतालिका/परिणाम में संशोधन संबंधी आवेदन	–	1. डॉ. भारती सागर
		–	2. डॉ. संध्या
4.	छात्राओं के शुल्क संबंधी आवेदन	–	1. डॉ. कल्पना वाजपेयी
		–	2. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा
5.	राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी	–	1. डॉ. पूजा राय
		–	2. डॉ. सुषमा
6.	रेंजर्स इकाई प्रभारी	–	1. डॉ. अर्चना सोनिया
			2. सुश्री मेनिका गुप्ता
7.	शासकीय छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी	–	डॉ. अर्चना पाल
8.	बेबसाइट प्रभारी	–	डॉ. सोमा दास

उपरोक्त सभी समिति प्रभारी प्रत्येक माह की 1–7 तारीख के बीच एक बार बैठक कर अधोहस्ताक्षरी को अपने कार्यो व समिति की कार्यवाही का लिखित विवरण उपलब्ध कराएंगे।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष छात्रा परिषद (Students' Council) का भी गठन किया जाता है जिनमें प्रत्येक कक्षा/संकाय की छात्राओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। यह परिषद छात्रा परिषद समिति के निर्देशन में कार्य करेगी।

डा. प्रीति जौहरी

प्रवेश समिति

सत्र 2023–24

प्रभारी प्रवेश

डॉ. अंजुबाला अग्रवाल

बी.ए.

1.	डॉ. अर्चना पाल	प्रभारी
2.	डॉ. मंजू दलाल	सदस्या
3.	डॉ. पूजा राय	सदस्या
4.	सुश्री सोनम यादव	सदस्या
5.	डॉ. गरिमा	सदस्या
5.	श्रीमती रत्ना शर्मा	सहायिका

बी.एस–सी./बी.सी.ए./पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1.	डॉ. संध्या श्रीवास्तव	प्रभारी
2.	डॉ. पल्लवी शुभा	सदस्या
3.	श्रीमती मधुमिता शर्मा	सदस्या
4.	सुश्री मेनिका गुप्ता	सदस्या
5.	श्रीमती पूजा पालीवाल	सहायिका

बी.कॉम./एम.कॉम.

1.	डॉ. अंजुबाला अग्रवाल	प्रभारी
2.	डॉ. प्रतिभा	सदस्या
3.	डॉ. सीमा शर्मा	सदस्या
4.	डॉ. सुषमा	सदस्या
5.	श्री गौरीशंकर	सहायिका

समस्त एम.ए. कक्षाओं के प्रवेश का दायित्व संबंधित विभागाध्यक्षों का रहेगा।

प्रवेश का समय :प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्या	प्रोफेसर (डॉ.) प्रीति जौहरी

कला संकाय

अंग्रेजी विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) अंजु बाला अग्रवाल (प्रोफेसर एवं प्रभारी) 2. डॉ. सोमा दास (असि. प्रोफेसर) 3. डॉ. अर्चना सोनिया (असि. प्रोफेसर) 4. डॉ. स्मृति शर्मा (असि. प्रोफेसर)
संस्कृत विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) अर्चना पाल (प्रोफेसर एवं प्रभारी) 2. डॉ. (श्रीमती) बृजरानी गोस्वामी (निलंबित उवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) 3. डॉ. ऋचा शर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई)
हिन्दी विभाग	1. डॉ. पूजा राय (असि. प्रोफेसर एवं प्रभारी) 2. सुश्री मेनिका गुप्ता (असि. प्रोफेसर) 3. सुश्री प्रतिभा (असि. प्रोफेसर)
संगीत (वादन) विभाग	1. श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल (मानदेय)
संगीत (गायन) विभाग	1. सुश्री दिव्यांशी (प्रवक्ता, अस्थाई)
गृह विज्ञान	1. डॉ. गरिमा (असि. प्रोफेसर एवं प्रभारी) 2. सुश्री शताक्षी सिंह (असि. प्रोफेसर)
शिक्षा शास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) कल्पना वाजपेयी (प्रोफेसर एवं प्रभारी)
मनोविज्ञान विभाग	1. सुश्री सोनम यादव (असि. प्रोफेसर)
शारीरिक शिक्षा विभाग	1. डॉ. मंजू दलाल (असि. प्रोफेसर)
अर्थशास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) वीरमती सिंह (प्रवक्ता, अस्थाई)
राजनीतिशास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) योगेन्द्री (प्रवक्ता, अस्थाई) 2. सुश्री खुशबू आचार्य (प्रवक्ता, अस्थाई)
समाजशास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) भारती सागर (प्रोफेसर एवं प्रभारी) 2. डॉ. (श्रीमती) नेहा सक्सैना (प्रवक्ता, अस्थाई) 3. सुश्री आरती (प्रवक्ता, अस्थाई)

चित्रकला विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) संध्या श्रीवास्तव (प्रवक्ता, प्रभारी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)
वाणिज्य संकाय	1. डॉ. (श्रीमती) सीमा शर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई) 2. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई) 3. डॉ. सुषमा जैन (प्रवक्ता, अस्थाई) 4. सुश्री रोशनी (प्रवक्ता, अस्थाई) 5. रिक्त 6. रिक्त
विज्ञान संकाय	1. डॉ. राजेश वर्मा (वनस्पति विज्ञान),(प्रवक्ता, अस्थाई) 2. डॉ. शैफाली अग्रवाल (गणित), (प्रवक्ता, अस्थाई) 3. डॉ. पल्लवी शुभा (रसायन विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई) 4. श्रीमती मधुमिता शर्मा (जन्तु विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई) 5. डॉ. नीतू चौधरी (भौतिक विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई)
पत्रकारिता विभाग	1. श्री कुंज बिहारी

कार्यालय

1. मुख्य कार्यालय	1. कार्यालय अधीक्षक (रिक्त) 2. श्री पवन सिकरवार (पुस्तकालय लिपिक) 3. श्री आशीष शर्मा (नैत्यिक लिपिक) 4. नैत्यिक लिपिक (रिक्त) 5. श्री गौरी शंकर (पुस्तकालय लिपिक, अस्थाई)
2. प्रयोगशाला सहायिका	
(क) मनोविज्ञान	1. श्रीमती पूजा पालीवाल
(ख) गृहविज्ञान	1. रिक्त
3. तबला संगतकार	1. श्रीमती रत्ना शर्मा
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1. श्री प्रदीप (दफ्तरी) 2. श्री सुरेश (सफाई कर्मचारी) 3. श्रीमती गुड़िया 4. श्रीमती अंजू शर्मा 5. श्री हरीश चन्द्र 6. श्री मुकेश (सफाई कर्मचारी)

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर 2023–24

प्रथम सेमेस्टर

1.	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	– 19 अगस्त, 2023 तक
2.	प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शिक्षण कार्य प्रारंभ	– 21 अगस्त 2023
3.	मिड – टर्म परीक्षा	– 10–31 अक्टूबर, 2023
4.	प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	– 15 दिसम्बर, 2023
5.	प्रथम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	– 23 दिसम्बर, 2023
6.	प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा	– 01–20 जनवरी, 2024
7.	प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	– 31 जनवरी 2024

द्वितीय सेमेस्टर

8.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की तिथि	– 22 जनवरी, 2024
9.	मिड – टर्म परीक्षा	– 11–30 मार्च, 2024
10.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	– 18 मई, 2024
11.	द्वितीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	– 25 मई, 2024
12.	द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें	– 20 मई से 15 जून, 2024
13.	द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	– 29 जून, 2024

पूर्व में अध्ययनरत वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित छात्रों के लिए

1.	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	– 31 जुलाई, 2024
2.	शिक्षण कार्य प्रारंभ	– 17 जुला. से 12 अग., 2023
3.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की प्रथम टर्म परीक्षा	– 16–28 अक्टूबर, 2023
4.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की द्वितीय टर्म परीक्षा	– 5–16 फरवरी, 2024
5.	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	– 30 मार्च, 2024
6.	प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	– 13 अप्रैल, 2024
7.	वार्षिक परीक्षा	– 15 अप्रैल से 18 मई, 2024
8.	परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	– 15 जून, 2024

उपरोक्त समस्त तिथियां प्रस्तावित हैं। सही तिथि एवं तात्कालिक परिवर्तनों की जानकारी के लिए छात्राएं नियमित रूप से सूचना पट देखती रहें।

– प्राचार्या

राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा (रजि.) मथुरा द्वारा स्थापित एवं संचालित)

प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर 2023–24

1. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश विवरणिका प्राप्त करने की प्रारम्भिक तिथि	– 05 जून, 2023
2. प्रवेश हेतु साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि	– 15 जुलाई, 2023
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि	– 24 जुलाई, 2023
4. स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं एवं अभिभावकों के लिये ओरियंटेशन (Orientation) कार्यक्रम	– 01 अगस्त, 2023
5. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि	– 03 अगस्त, 2023
6. छात्रा–अभिभावक संघ बैठक	– 26 अगस्त, 2023
7. बी. कॉम. प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति परीक्षा	– 08 सितम्बर, 2023
8. हिन्दी सप्ताह	– 07 से 14 सितम्बर, 2023
9. स्थापना दिवस कार्यक्रम	– 04 अक्टूबर, 2023
10. छात्रा अभिभावक संघ की द्वितीय बैठक	– 14 अक्टूबर, 2023
11. महाविद्यालयी साहित्यिक प्रतियोगिताएं	– तृतीय सप्ताह अक्टूबर, 2023
12. अन्तर्महाविद्यालयी साहित्यिक एवं ललित कला प्रतियोगिताएं	– प्रथम सप्ताह नवम्बर, 2023
13. पुरातन छात्रा परिषद बैठक	– प्रथम सप्ताह नवम्बर, 2023
14. मध्य सत्र परीक्षा विषम सेमेस्टर	– तृतीय सप्ताह नवम्बर, 2023
15. छात्रा अभिभावक संघ की तृतीय बैठक	– प्रथम सप्ताह दिसम्बर,2023
16. विभागीय गतिविधियाँ	– द्वितीय सप्ताह दिसम्बर,2023
17. क्रीड़ा प्रतियोगिताएं	– तृतीय सप्ताह दिसम्बर,2023
18. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा	– 01 से 20 जनवरी 2024
19. एन.एस.एस. शिविर	– चतुर्थ सप्ताह जनवरी, 2024
20. छात्रा अभिभावक संघ की चतुर्थ बैठक	– तृतीय सप्ताह फरवरी, 2024
21. मध्य सत्र परीक्षा सम सेमेस्टर	– तृतीय सप्ताह मार्च, 2024
22. मुख्य परीक्षा सम सेमेस्टर	– 20 मई से 15 जून, 2024

उपरोक्त समस्त तिथियां प्रस्तावित हैं। सही तिथि एवं तात्कालिक परिवर्तनों की जानकारी के लिए छात्राएं नियमित रूप से सूचना पट देखती रहें। – प्राचार्या

Golden Opportunity for CS aspirants

The Authorised Study Centre of

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament

NOW in MATHURA

at

RCA Girls' PG College, Vrindavan Gate, Masani, Mathura

Mathura Centre of ICSI Ph.: 0565- 2505956, M.: 9286666675

Office Timmings : 10.00 am to 5.00 pm e-mail : icsistudycentre@rcagirlscollege.org

Contact for all sorts of Counselling / Guidance about CS foundation, Executive & Professional Programmes Regarding Course Registration, Study Material and Personal / Online Coaching Classes.

Online admission to the CS Course at www.icsi.edu	Eligibility	Fee Details **
CS Foundation Programme (Duration : 8 Months)	• 10+2 pass or equivalent of any stream except Fine Arts. • Students appeared or enrolled for appearing in 10+2 or its equivalent examination can apply provisionally subject to submission of documents within six months.	₹ 4,500/- (Reg. ICSI) + 10,000/- (Study Centre)
CS Executive Programme (Duration : 9 Months)	CS Foundation Pass /Graduates of any stream except Fine Arts/Pass in Foundation examination of ICAI (Cost) or CPT of ICAI or final examination of any other Accountancy Institution in India or abroad recognised as equivalent thereto.	• CS Foundation Pass ₹ 8500/- • Commerce Graduate ₹ 9000/- • Non-Commerce Graduate ₹ 10000/- • Foundation Exam of ICAI (Cost)/CPT of ICAI Pass ₹ 12500/- + • ₹ 20000/- Module-I • ₹ 15000/- Module-II (Study Centre)
CS Professional Programme (Duration : 9 Months)	CS Executive Programme Pass	₹ 12000/- + ₹ 18000/- for Module-I & II and ₹ 20000/- for Module III (Study Centre)